न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 17/2018 (225)
आरसीएमएस संख्या – 2018/00216
उनवान :–

1. लक्ष्मन
2. लालजीत } पुत्र मोतीराम
3. मान सिंह
4. चमेली पुत्री मोतीराम

} जाति कुशवाह नि0 ग्राम मनिका पुरा मजरा सियपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

....................अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

............................असल रैस्पो0

2. मोहन सिंह पुत्र वेदरिया जाति कुशवाह निवासी चौकी हिनौता तहसील व जिला धौलपुर।

.... तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 12.06.2018 प्रकरण संख्या 55/17 उनवान सरकार बनाम लक्ष्मन सिंह।

भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व ... कैम्प-धौलपुर ★ भरतपुर ★

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ एंव रामअवतार गौड एडवोकेट अपीलाण्ट।
2. श्री गजेन्द्र सिंह राणा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–01.10.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 12.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार धौलपुर ने एक प्रार्थना–पत्र धारा 177 आर0टी0एक्ट0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि, आराजी खसरा नम्बर 538 रकवा 01 बीघा 04 विस्वा, किस्म बारानी प्रथम वाके ग्राम सीयपुरा तहसील धौलपुर में बिना अनुमति/रूपान्तरण करायें, अवैध रूप से ढाबा स्थापित कर लिया है। अतः उक्त रकवे को सिवायचक दर्ज करने का आग्रह किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये, विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज़ करने एवं अप्रार्थी/अपीलाण्ट को मौके से बेदखल करने के आदेश पारित कियें। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलव किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की बिना विधिवत तामील कराये एवं बिना सुनवाई का मौका दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया है। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को बिना सुने उनकी बैक पर पारित हुआ है। अतः जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। साथ ही मियाद को क्षमा कराने हेतु दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से संलग्न है। गुणावगुण पर उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.09.2017 को धारा 177 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 20.11.2017 वास्ते तलवी अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट नियत की गई। दिनांक 20.10.2017 को अपीलाण्ट्स पर किसी भी प्रकार का कोई सम्मन नहीं पहुँचा एवं ना ही सम्मन वापस पत्रावली पर लौट कर आये। इसी प्रकार अग्रिम पेशी दिनांक क्रमशः 08.01.2018, 09.03.2018, 04.05.2018 को भी प्रकरण वास्ते इंतजार तामील में लम्बित रहा। इस प्रकार अपीलाण्ट्स को अपने विरूद्ध चल रहें प्रकरण का किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं रही। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स की बिना तामील कराये प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत दयेरी में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। यदि अपीलाण्ट पर सम्मन तामील हुआ होता तो अपीलाण्ट अपना जवाव प्रस्तुत कर सकते थे। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 177 आरटीएक्ट के उपावन्ध 2 लगायत 4 की पालना भी नहीं की गयी है एव बिना कोई जॉच किये, बिना तहसीलदार एवं पटवारी के बयान लिये, बिना कोई नजरी नक्शा बनाये, मात्र हल्का पटवारी की 09 माह पुरानी रिपोर्ट, जिस पर किसी भी गवाह आदि के हस्ताक्षर भी नहीं है, को सही मानकर निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट का मौके पर कोई ढाबा संचालित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी का भी अवलोकन नहीं किया। खसरा गिरदावरी में विवादित आराजी पर काश्त दर्ज हो रही है। अतः इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित निर्णय को किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अपीलाण्ट द्वारा अपने खातेदारी की आराजी में बिना अनुमति/रूपान्तरण कराये, अवैध रूप से ढाबा स्थापित कर कृषि भूमि का अकृषि कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा है। जो गैर कानूनी है। अपीलाण्ट का यह कथन कि उसे बिना सुने आदेश पारित किया है, गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत रूप से नोटिस जारी किये जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात की विधिवत जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2018 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 03.10.2018 को करीब 04 माह की देरी से

धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र (मय शपथ–पत्र) के साथ प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपील पेश करने में हुई देरी का कारण, अपीलाधीन आदेश उनकी बैक पर बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित करना अंकित किया गया है, जो तर्कसंगत है। अतः अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब पर उदार दृष्टि अपनाकर, क्षमा करते हुए अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है।

6. जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कही भी यह उल्लेख नहीं है कि अपीलाण्ट को नोटिस की तामील हो चुकी हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 15.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करते हुये अग्रिम पेशी दिनांक 20.11.2017 नियत की गयी है। पेशी दिनांक 20.11.2017 की आदेशिका में अंकित है कि नोटिस बाद तामील वापस प्राप्त नहीं, इन्तजार तामील अग्रिम पेशी दिनांक 08.01.2018 नियत की गयी। इसी प्रकार पेशी दिनांक 08.01.2018 व 09.03.2018 को भी पत्रावली वास्ते इन्तजार तामील अग्रिम पेशी दिनांक 04.05.2018 नियत की गयी है। दिनांक 04.05.2018 की आदेशिका में अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये अथवा नहीं का ही उल्लेख किया है एवं ना ही पुनः नोटिस जारी किये गये हैं एवं प्रकरण सीधे दिनांक 12.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत दयेरी में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखने का भी कोई नोटिस अपीलाण्ट/अप्रार्थी को नहीं दिया गया है एवं ना ही उनकी उपस्थिति का कोई उल्लेख, अपीलाधीन निर्णय एवं उक्त दिवस की आदेशिका में अंकित हैं एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाण्ट/अप्रार्थी के कोई तामील शुदा नोटिस ही संलग्न हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट/अप्रार्थी को बिना सुने एक पक्षीय रूप से पारित हुआ है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। इसके अतिरिक्त पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 538 लक्ष्मन, लालजीत, चमेली, मान सिंह, मोहन सिंह की सहखातेदारी में दर्ज है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपार्ट में विवादित भूमि में 50 वाई 40 फुट में पक्का निर्माण कर गैर कृषि कार्य (ढाबा) संचालित होना अंकित किया है परन्तु पटवारी हल्का ने उक्त रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया है कि विवादित आराजी में उक्त सहखातेदारो में से किसके द्वारा निर्माण किया गया अथवा ढाबा संचालित किया गया है। एक तरफ पटवारी हल्का अपनी रिपोर्ट में मौके पर ढाबा संचालित होना अंकित कर रहे हैं वही दूसरी तरफ अपील पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2070 लगायत 2073 में विवादित आराजी पर काश्त (बाजरा, गेहूॅ, आलू आदि) करना अंकित कर रहे हैं जबकि दोनों (रिपोर्ट एवं खसरा गिरदावरी) पटवारी हल्का द्वारा ही तैयार की गयी हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ना तो पटवारी हल्का अथवा तहसीलदार के कोई बयान लिये एवं ना ही यह स्पष्ट किया है कि विवादित आराजी में से किस सहखातेदार द्वारा ढावा का संचालन किया गया है। तर्क के लिये विवादित आराजी के कुछ हिस्से में ढाबा संचालित होना माना भी जावें तो भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता है कि विवादित आराजी में दर्ज सहखातेदारो में से किस सहखातेदार द्वारा ढाबा संचालन किया गया। किसी एक सहखातेदार द्वारा कृषि भूमि का अकृषि कार्य हेतु उपयोग करने से अन्य सहखातेदारो को उनके अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का इस प्रकार बिना राजीनामा एवं पक्षकार को बिना सूचना दिये, प्रकरण

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित करना, विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर का आदेश दिनांक 12.06.2018 खारिज किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.11.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होंवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कैम्प-धौलपुर ★ भरतपुर ★

01.10.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी एवं
कार्य0 भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर